Purva Mimaansa | Refereed | Peer Reviewed
ISSN: 0976-0237 | Volume 13, Issue March 2022 | Impact Factor 4.762

मनरेगा: रोजगार की दिशा में बड़ा कदम

वीना

छात्रा, राजनीतिक विभाग, के एल मेहता दयानन्द महिला कॉलेज, फरीदाबाद (हरियाणा)

शोध सारांश

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया है। ग्रामीण लोगों का विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिए यह ऐसा अधिनियम है। जिसके अंतर्गत रोजगार देने की गारंटी निहित है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीणों की आजीविका को सुरक्षित करना तथा अत्यधिक आय के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक रोजगारन्मुखी योजना है। विश्व बैंक ने 2013 में मनरेगा को एक सफल योजना माना है प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित तथा विश्लेषण करके यह अध्ययन किया गया है कि यह योजना रोजगार प्रदान करने में कहां तक सफल हुई है और सरकार द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए कौन- कौन से कदम उठाए गए हैं।

शोध कुंजी

रोजगारोंन्मुखी, अकुशल ग्रामीण लोग, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता।

शोध का उद्देश्य

- मनरेगा योजना द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का अध्ययन करना।
- मनरेगा द्वारा लोगों को प्राप्त रोजगार का अध्ययन करना
- मनरेगा द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करना।
- मनरेगा के लाभार्थियों के जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- मनरेगा द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की शक्ति का अध्ययन करना।
- मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्रविधी का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है। शोध अध्ययन में प्रश्नावली का प्रयोग भी किया गया है। तत्पश्चात अध्ययन उद्देश्य के अनुसार उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गए हैं। शोध अध्ययन में समाचार-पत्रिका, पुस्तकों तथा कंप्यूटर को प्रयोग में लाया गया है।

प्रस्तावना

हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो अर्थात मजदूरी करने को सहमत सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार पाने का अधिकार होना चाहिए। महात्मा गांधी बेरोजगारी को सामाजिक अपराध मानते थे। उनका कहना था कि बेरोजगारी कई तरह के सामाजिक अपराध पैदा करती हैं। सरकार को चाहिए कि वह

PURVA MIMAANSA

समाज की बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। इसीलिए आजादी के बाद बेरोजगारी को समाप्त करना ही भारत सरकार के समक्ष प्रमुख कार्य में से एक रहा है । बेरोजगार से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उदय हुआ जिसे मनरेगा कहा जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार के संदर्भ में यह पहला कदम है। जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। पहले इसका नाम नरेगा था। परंतु गांधी जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया जाए इसीलिए अब नरेगा को मनरेगा नाम से जाना जाता है। जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। मनरेगा एक रोजगारोन्मुखी योजना है जो ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। यह अधिनियम अकुशल मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अधिनियम द्वारा महिलाओं को 33% भागीदारी दी गई हैं। इस अधिनियम द्वारा अनपढ़ महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है और वह आत्मनिर्भर बन पाई है। इस अधिनियम का लक्ष्य यह है कि इसके तहत परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की दशा में सुधार लाया जाए । यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2018 से यह कानून सभी गांव में लागू है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

यह रोजगार के कानूनी गारंटी का अधिकार देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(नरेगा) संसद में सितंबर 2005 में पारित हुआ। इस योजना को तीन चरणों के अंतर्गत संपूर्ण देश में लागू किया गया। ।प्रथम चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलो में लागू किया गया। दूसरे चरण में वर्ष 2007--2008 में इसमें ओर 130 जिले को शामिल किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली ग्राम में 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश के ग्रामीण जिले में लागू कर दिया गया। आरंभ में इस अधिनियम को नरेगा नाम से जाना जाता था परंतु 2 अक्टूबर 2009 में इस अधिनियम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दिया जाता है। 2 फरवरी 2006 से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया।2008 में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले भी इस योजना में शामिल किए गए।

योजना

इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार मनरेगा योजना को लागू करवाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार 25% और केंद्र सरकार 75% का वहन करती है। इसमें मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 है। इस योजना के अनुसार समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ के पात्र सदस्य को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निशुल्क दिया जाता है। इस अधिनियम में 100 दिवस का रोजगार का प्रावधान किया गया है परंतु राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों से 100 दिवस से अधिक का रोजगार भी उपलब्ध करवा सकती

है। यदि मांग के हिसाब से सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो निर्धारित दरों के अनुसार पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत आवेदकों को गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। परंतु यदि कार्यक्रम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी का प्रतीत हो तो आवेदक को 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। योजना के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सप्ताहिक रूप से 15 दिवस की अवधि में करना अनिवार्य है। कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से ही किया जाता है। मजदूरी समय से ना मिलने पर श्रमिक विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है। ग्राम सभा द्वारा 6 महीने में एक बार कार्य का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर श्रमिकों का निशुल्क चिकित्सा उपचार भी कराया जाता है। महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशु गृह, पेयजल, छप्पर उपलब्ध कराया जाता है।

मनरेगा की सफलताएं

मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े "सामाजिक कल्याण कार्यक्रम" की मान्यता दी। एन सी ए आर की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा ने गरीब वा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो, दलित एवं छोटे कृषि के बीच गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मनरेगा योजना के द्वारा ना केवल ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बल्कि दैनिक जीवन की सुविधाओं की भी पूर्ति हुई है। ग्रामीण लोग को रोजगार मिलने से उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर का विकास हुआ है। मनरेगा के तहत अनपढ़ महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका मिला है । इस अध्ययन के द्वारा यह उजागर करने की कोशिश की गई है कि 2006 से 2021 तक मनरेगा ने कितनी सफलताएं हासिल की है और कितनी चुनौतियों का सामना किया है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी । 2014-15 में घटकर 6.71करोड रह गई परंतु बाद में यह बढ़कर 2015-16 में 7.21 करोड़, वर्ष 2016-17 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018- 2019 में 7.76 करोड़ हो गई। इस अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों के द्वारा यह ज्ञात होगा की मनरेगा में 2006 में प्रत्येक राज्य में कितनी मजदूरी दर थी। और अब वर्तमान में कितनी मजदूरी दर है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि मजदूरी दर में 2006 से 2022 में काफी वृद्धि की गई है ।

तालिका क्रमांक

मनरेगा मजदूरी दर (2006-2007)

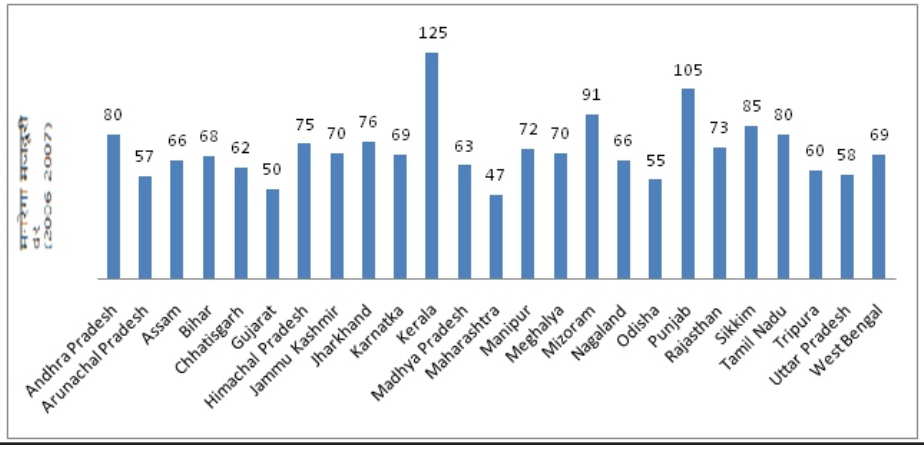

इस योजना की सफलता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है। जब यह ज्ञात हो कि 2006- 2022 तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय कितनी है। अत: इस शोध में मनरेगा के आंकड़ों को एकत्रित तथा विश्लेषण किया गया है। जिसके द्वारा मनरेगा की रोजगारोन्मुखी सफलता की पुष्टि की जा सकता है।

मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय 2006-2022

तालिका क्रमांक

मनरेगा मजदूरी दर (२०२०-२०२२)

राज्य	मनरेगा मजदूरी दर 2021-22 (Rs)	मनरेगा मजदूरी दर 2020-21(Rs)	मनरेगा मजदूरी दर (Rs)
आंध्रप्रदेश	245	237	8 (3.4)
अरूणाचल प्रदेश	212	205	7 (3.4)
असम	224	213	11 (5.2)
बिहार	198	194	4 (2.1)
छत्तीसगढ़	193	190	3 (1.6)
गोवा	294	280	14 (5.0)
गुजरात	229	224	5 (2.2)
हरियाणा	315	309	6 (1.9)
हिमाचलप्रदेश	254	248	6 (2.4)
जम्मू-कश्मीर	214	204	10 (4.9)
लद्दाख	214	204	10 (4.9)
झारखण्ड	198	194	4 (2.1)
कर्नाटक	289	275	14 (5.1)
केरल	291	291	0 (0)
मध्यप्रदेश	193	190	3 (1.6)
महाराष्ट्र	248	238	10 (4.2)
मणिपुर	251	238	13 (5.5)
मेघालय	226	203	23 (11.3)
मिजोरम	233	225	8 (3.6)
नागालैंड	212	205	7 (3.4)
उड़ीसा	215	207	8 (3.9)
पंजाब	269	263	6 (2.3)
राजस्थान	221	220	1 (0.5)
सिक्किम	212	205	7 (3.4)
तमिलनाडु	273	256	17 (6.6)
तेलंगाना	245	237	8 (3.4)
त्रिपूरा	212	205	7 (3.4)
उत्तरप्रदेश	204	201	3 (1.5)
उत्तराखण्ड	204	201	3 (1.5)
पश्चिम बंगाल	213	204	9 (4.4)

PURVA MIMAANSA

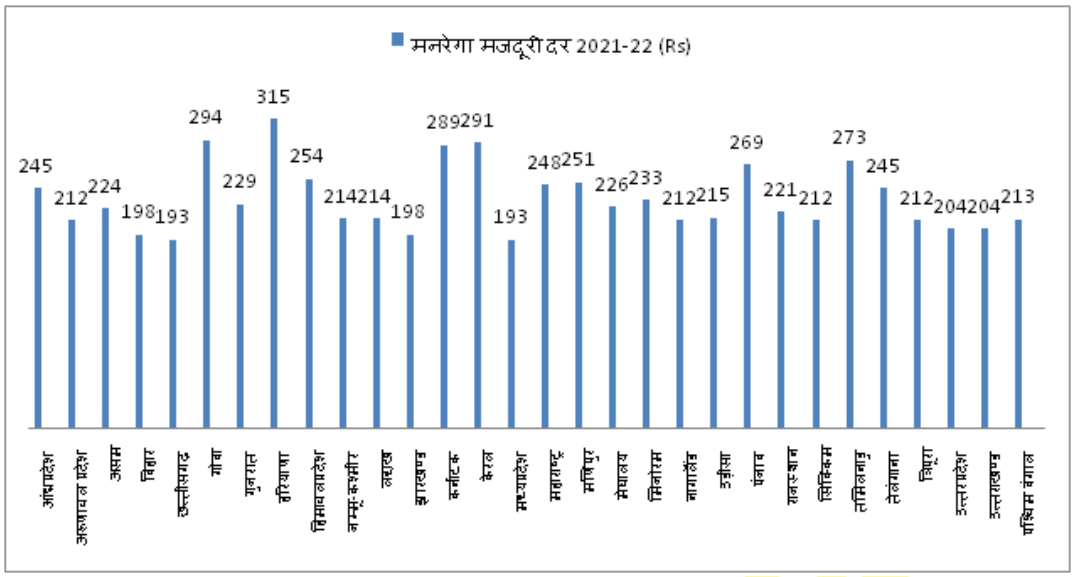

वर्तमान में मनरेगा की स्थिति

मनरेगा की सफलताओं को जानने के लिए मनरेगा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि मनरेगा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है। कि अब मनरेगा में 714 जिले 7,138 ब्लॉक तथा कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,69,339 है।

- जिलों की कुल संख्या। 714
- ब्लॉकों की कुल संख्या 7,138
- ग्राम पंचायतों की कुल संख्या। 2,69,339
- जारी किए गए जॉब कार्डो की कुल संख्या (करोड़) 15,91
- कामगारों की कुल संख्या (करोड़) 30.24
- सक्रिय कामगारों की कुल संख्या (करोड़) 15.42
- सक्रिय श्रमिकों की जॉब कार्ड की कुल संख्या (करोड़) 10.02
- अनुसूचित जाति कार्यकर्ता। (करोड़) 20.17
- अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता। (करोड़) 16.7
- स्वीकृत श्रम बजट। (करोड़) 323.12

● प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर	209.11
● कुल परिवारों ने काम किया (करोड़)	6.95
● कुल व्यक्तियों ने काम किया। (करोड़)	10.1
● कुल में से महिला व्यक्ति दिवस।	54.61
● विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया गया।	5,46,764
● किए गए कार्यों की कुल संख्या। (लाख)	211.81
● सक्रिय कार्यों की कुल संख्या। (लाख)	134.39
● पूर्ण कार्यों की कुल संख्या (लाख)	7.42
● मजदूरी	68,649.57
● सामग्री और कुशल मजदूर (करोड़)	26,247.52
● प्रति व्यक्ति औसत लागत।	83.71
● 15 दिन के भीतर भुगतान।	98.51

करोना काल में मनरेगा की स्थिति

करोना काल का आरंभ 2020 में हुआ। जिसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ा। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन गरीब लोगों पर पड़ा जिनका लॉक डाउन होने की वजह से रोजगार समाप्त हो गया। और उन्हें गांव की ओर पलायन करना पड़ा। परंतु मनरेगा योजना ने करोना काल में भी गरीब लोगों को रोजगार देने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । करोना संकट के दौरान काम की मांग तेजी से बढ़ी। करोना काल में मनरेगा योजना के तहत कई क्षेत्रों में लोगों को अधिक काम मिला और कई क्षेत्रों में लोगों को काम देने के आंकड़ों में गिरावट आई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से यह ज्ञात होता है। कि मनरेगा के तहत मई 2021 में 1,85 करोड़ लोगों को काम दिया गया है। जोकि मई 2019 में की गई काम की पेशकश की तुलना में 52% अधिक है। 2020 के बजट में मनरेगा के खर्च का अनुमान 60 करोड़ लगाया गया था। जिसे बढ़ाकर 71,001,81 करोड़ रुपए कर दिया गया। करोना जैसी महामारी के बाद चालू वित्त वर्ष में भी 61,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,11,500 करोड़ रुपए किया गया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा भविष्य में बजट में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। ग्रामीण विकास पर चिंता व्यक्त करते हुए संसद की स्थाई समिति के बैठक में सांसदों ने मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार से बढ़ाकर 200 दिन में परिवर्तित किए जाने का सुझाव दिया।

परंतु कई राज्यों पर करोना ने मनरेगा को बहुत अधिक प्रभावित किया जैसे बिहार में 1.86

करोड़ जॉब कार्ड धारी परिवारों में से केवल 54.12 लाख ही सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ में 41.16 लाख जॉब कार्ड में से 33.41, मध्यप्रदेश में, 71.33 लाख में से 52.58 लाख, पश्चिम बंगाल में 83.48 लाख और राजस्थान में 69. 88 लाख जॉब कार्ड सक्रिय हैं। बिहार में मनरेगा में 2.16 करोड़ श्रमिकों में से केवल 63. 23 लाख श्रमिक ही सक्रिय रहे। जबकि छत्तीसगढ़ में 94.61लाख में से 67.55, मध्यप्रदेश में 1.62 करोड़ में से 95 लाख और पश्चिम बंगाल में 2.86 करोड़ में से 1.39 करोड़ श्रमिक ही सक्रिय रहे। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की 42 वर्षीय कौशल्या हेंब्रम ने अप्रैल में 21 दिन काम किया लेकिन उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिली थी।।ऐसी ही स्थिति कई राज्यों में भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी करोना के समय यही स्थिति रही केवल गांव की 30 वर्षीय महिला ने पति के साथ जनवरी–फरवरी में मनरेगा के तहत गांव में खुदाई के दौरान 40 दिन काम किया लेकिन पेमेंट समय पर नहीं हुई। सोशल डिस्टेंस का पालन करने से सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं पा रहे थे। और ना ही ग्रामीणों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिल पाया। यूपी के सोनभद्र जिले में ग्रामीण मनरेगा के तहत काम रोके जाने से आर्थिक संकट झेलना पड़ा । मनरेगा जैसी रोजगार मुखी योजना इस मुश्किल घड़ी में जीने का सहारा हो सकती थी । परंतु लॉक डाउन तथा सोशल डिस्टेंस के कारण मनरेगा के तहत काम मिलना बंद हो गया। अत: सरकार की यह योजना किसी राज्य में तो कोरोना काल में भी सफल साबित हुई और किसी का राज्य में यह योजना कई कारणों की वजह से असफल हो गई

समस्याएं

इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य स्थल पर सुविधाओं का प्रावधान है। परंतु कई बार कार्यस्थल पर समुचित सुविधाओं काअभाव होता है।

महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेट्रो द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है।

इस प्रावधान के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्रदान कराया जाना आवश्यक है। परंतु सरकार के कार्यों की संख्या कम होने के कारण श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवा पाती।

इस योजना की एक और समस्या यह है कि इसमें औपचारिकता की अधिकता है जैसे पंजीकरण हेतु आवेदन, काम के लिए आवेदन, जॉब कार्ड का निर्माण, रोजगार का रिकॉर्ड आदि जिसे अशिक्षित श्रमिकों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है।

इस योजना के अंतर्गत कई बार पर्याप्त कोष का अभाव होने के कारण कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल पाता और कार्य भी अपूर्ण रह जाते हैं।

मातृत्व भत्ता व बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान महिला श्रमिकों को नहीं होता नहीं होता।

श्रमिक महिलाओं के साथ कई बार ठेकेदारों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है।

मजदूरों को श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती।

श्रमिकों का अशिक्षित होना भी मनरेगा को सफल बनाने में एक प्रमुख बाधा है।

PURVA MIMAANSA

सुझाव

श्रमिकों को जागरूक किए जाने के लिए आवश्यक है कि इस योजना का प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए। ताकि इस योजना से संबंधित सूचनाएं ग्रामीण जनता तक पहुंच पाए और इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का उचित एवं सफल क्रियान्वयन हो सके।

इस अधिनियम के अनुसार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। किंतु वास्तव में रोजगार के दिनों में वृद्धि की जानी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। ताकि प्रयुक्त की राशि का दुरुपयोग ना हो और श्रमिकों को अपने मजदूरी समय पर मिल सके।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। स्टाफ की संख्या इतनी अवश्य होने चाहिए कि योजनाओं का निर्माण, संचालन, समय पर कार्ड का चयन, रिकॉर्ड आदि कार्य समय पर ही संपन्न हो सके।

इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण उच्च अधिकारी से ही करवाया जाना चाहिए। ताकि भ्रष्टाचार व गमन जैसे विसंगतियों को रोका जा सके। सरकार द्वारा ठेकेदारों पर रोक लगाने चाहिए ताकि ग्रामीण परिवार आधिकारिक लाभान्वित हो सके।

संदर्भ सूची

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2011 ।

डॉक्टर अतर सिंह 2019 ग्रामीण विकास योजनाएं अंक- 5 राजस्थान जयपुर ।

कीर्तिश सुप्रिया वृत्त 2019 ग्रामीण विकास योजना अंक- 5 राजस्थान जयपुर ।

चंद्रपाल 2018 मनरेगा योजना प्रभावों एवं उपलब्धियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अंक 12 ।

डॉ धर्मेंद्र कुमार 2018 मनरेगा योजना प्रभावों एवं उपलब्धियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अंक-12 ।

अमृत कुमार 2013 मनरेगा कार्यक्रम और मीडिया एक अध्ययन अंक- 3 ।

डॉ जीडीएस बग्गा 2017 मनरेगा रोजगार मुखी योजना का मुल्यात्मक अध्ययन अंक- 7 ।

आकाश वैष्णव 2017 मनरेगा रोजगार मुखी योजना मुल्यात्मक अध्ययन ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ।

प्रियदर्शनी मनीष 2020 मनरेगा काम का अधिकार अंक 5 ।

विकिपिडिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ।

mgnregs-ap-gov
www-nrega-nic-in
mnregaweb4-nic-in

PURVA MIMAANSA